


| | |
|---|---|
|  | इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चॉदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर |
| | INDORE SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT, INDORE (MP) Phone : 0731-2802554/2802535 Fax No. 0731- 2811559 |
| I.S.D.S | |

पत्र क्र. **4409**/क्षै.सं./T-3(ii)/ इसदुसं/2019

दिनांक **03 Oct. 2019**

**बोलेरों जीप एवं तरल नत्रजन वाहन (पिकअप वाहन) हेतु
अल्पकालीन ई-निविदा**

- संघ कार्यक्षेत्र के झाबुआ/खरगौन/बड़वानी जिले के ग्रामों में भ्रमण हेतु बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन (मॉडल 2016 या उसके बाद) दो वर्ष के लिए तत्काल आवश्यकता है। इस हेतु **Online** अल्पकालीन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। माह में न्यूनतम 2000 एवं अधिकतम 2500 कि.मी. के लिए भुगतान किया जावेगा।
- संघ कार्यक्षेत्र अंतर्गत कार्यरत् कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को तरल नत्रजन फ्रोजन सीमन, कृत्रिम गर्भाधान सामग्री पहुंचाने हेतु पिकअप/समकक्ष वाहन (मॉडल वर्ष 2016 या उसके बाद का) दो वर्ष के लिए तत्काल आवश्यकता है। इस हेतु **Online** अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। माह में न्यूनतम 2000 एवं अधिकतम 2500 कि.मी. के लिए भुगतान किया जावेगा।

| क्र | जिले/दु.शी. के नाम जिनके लिए बोलेरों जीप/समकक्ष एवं कृ.ग. केन्द्रों हेतु पिकअप वाहन की आवश्यकता है। | ई-निविदा क्रय हेतु अन्तिम दिनांक/समय | ई-निविदा प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक/समय | ई-निविदा खोलने का दिनांक/समय एवं स्थान |
|-----|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन बड़वानी/झाबुआ/खरगौन जिला | दि. 09.10.2019 समय 1.30 बजे | दि. 09.10.2019 समय 1.30 बजे | दि. 11.10.2019 समय 2.30 बजे |
| 2 | पिकअप/समकक्ष वाहन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों हेतु | | | |

बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन एवं पिकअप/समकक्ष वाहन हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम/मार्गों की विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्तें/नियम) मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाईट www.mpcdf.gov.in OR www.mpcdf.nic.in पर देखी जा सकती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र पोर्टल <http://www.mptenders.gov.in> पर उपलब्ध है। डिजीटल साईन हेतु मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल से टोल फ्री नम्बर **18002588684** पर संपर्क करें। समस्त निविदाएं या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

—: निविदा प्रपत्र :—

निविदा कार्य:—

1. इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के 3 जिलें खरगौन, झाबुआ एवं बडवानी के ग्रामों में भ्रमण कार्य हेतु दो वर्ष के लिए बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन की अल्पकालीन ई-निविदा। माह में न्यूनतम 2000 एवं अधिकतम 2500 कि.मी. के लिए भुगतान किया जावेगा।
2. संघ कार्यक्षेत्र अंतर्गत कार्यरत् कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को तरल नत्रजन फ़ोजन सीमन, कृत्रिम गर्भाधान सामग्री पहुचानें हेतु पिकअप/समकक्ष वाहन (मॉडल वर्ष 2016 या उसके बाद का) दो वर्ष के लिए तत्काल आवश्यकता है। इस हेतु **Online** अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। माह में न्यूनतम 2000 एवं अधिकतम 2500 कि.मी. के लिए भुगतान किया जावेगा।

ई-निविदा क्रय हेतु अंतिम दिनांक एवं समय :09.10.2019/दोपहर 12.30 बजे तक

ई-निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय :09.10.2019/दोपहर 01.30 बजे तक

ई-निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय :11.10.2019/दोपहर 2:30 बजे

ई-निविदा खोले जाने का स्थान :कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. मांगलिया इन्दौर,

पत्राचार हेतु पता:— :मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या
चौदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

ANNEXURE I

A: निविदा शर्त (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

B: निविदा शर्त (तरल नत्रजन वाहन हेतु)

ANNEXURE II

A: अनुबंध पत्र (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

B: अनुबंध पत्र (तरल नत्रजन वाहन हेतु)

ANNEXURE III

A: फार्म – A (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

B: फार्म – A (तरल नत्रजन वाहन हेतु)

ANNEXURE IV

A: भाव पत्र (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

B: भाव पत्र (तरल नत्रजन वाहन हेतु)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

बोलरों जीप/समकक्ष वाहन संचालन हेतु नियम एवं शर्त

1. बोलरों जीप/समकक्ष वाहन मॉडल वर्ष 2016 अथवा उसके बाद का होना चाहिए।
2. वाहन प्रथमतः दो वर्ष हेतु चलाई जावेगी, आवश्यकता पडने पर समयावधि में वृद्धि समान दरों एवं समान शर्तों पर की जा सकेगी।
3. वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगें।
4. वाहन मालिक को ई-निविदा भरने के पूर्व रु. 10000/- प्रति वाहन धरोहर राशि के रूप में **MP Tenders** को **Online** जमा करने होंगें।
5. वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास वैधानिक ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।
6. वाहन में समस्त वैध कागजात, रजिस्ट्रेशन पेपर, बीमा, परमिट, चालक का ड्राइविंग लाईसेंस रखना अनिवार्य होंगें। एक प्रति कार्यालय में भी जमा करनी होगी।
7. जीप वाहन टेक्सी परमिट का होना अनिवार्य है।
8. निविदा स्वीकृति पश्चात मांगे जाने पर 3 दिवस में वाहन उपलब्ध कराना होगा।
9. वाहन एक माह में अधिकतम 2500 कि.मी. चलाई जावेगी, उससे कम चलने पर न्यूनतम 2000 कि.मी. के आधार पर भुगतान देय होगा।
10. वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होंगें।
11. वाहन में लगने वाले डीजल/आईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. वाहन का देयक आगामी माह की 3 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।
13. प्रथम देयक के साथ पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
14. देयक से कटोत्रा किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त में प्रदान किया जावेगा।
15. वाहन मालिक को कार्य आदेश के पश्चात रु. 1000/- के Non Judicial Stamp पर नोटराईज्ड अनुबंध करना होगा।
16. वाहन लगने के पश्चात डीजल दरों में वृद्धि/कमी होने पर जीप का औसत 12 कि.मी. प्रतिलीटर के आधार पर दरों में वृद्धि/कमी उसी दिनांक से की जावेगी।
17. वाहन के टोल-टेक्स रसीद की लॉग बुक में इन्ट्री कर उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात देयक के साथ प्रस्तुत करने पर संघ से भुगतान किया जावेगा।
18. वाहन मालिक द्वारा किन्ही कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रु. 1000/- की दर से पेनल्टी की जावेगी।
19. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द किया जा सकेगा।
20. निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रु. 20000/- प्रति वाहन संघ में जमा करना अनिवार्य होंगें, जो वाहन बन्द होने के पश्चात् बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
21. कोई घटना-दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की रहेगी।
22. किसी संस्था द्वारा यदि समस्त जीप (कुल संख्या 3) एक साथ उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी संस्था को वरीयता दी जा सकेगी।

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर एवं बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन निविदाकार
के मध्य किये जाने वाला अनुबंध



1000/-रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (निविदाकार/निविदाकार संस्था) श्री/श्रीमती निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती है एवं द्वितीय पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के जिले खरगौन/बड़वानी/झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम पक्षकार के जीप/समकक्ष वाहन/डीजल कार जिसका पंजीयन क्रमांक है, से द्वितीय पक्षकार (इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर) द्वारा निर्धारित समय हेतु आवेदन किया है एवं द्वितीय पक्षकार ने इससे आगे लिखे गये निबन्धनों एवं शर्तों पर प्रथम पक्षकार का आवेदन दर रु. (अक्षरी रु.) प्रतिकिमी पर अग्रलिखित शर्तों के अनुसार अनुबन्ध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज फोटो के सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभयपक्षों को मान्य होगी। जिले के मार्गों पर यदि टोल टेक्स लगता है अथवा बाद में प्रारम्भ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदें प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा परिवहन देयक के साथ भुगतान किया जावेगा।

- 1) यह ठेका अवधि दिनांक से दिनांक तक प्रभावशील रहेगी।
- 2) इन शर्तों को जीप/समकक्ष वाहन/डीजल कार परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर माना जावेगा।
- 3) वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तर दायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा, यदि डीजल के अभाव में वाहन नहीं भेजा जाता है अथवा विलम्ब से भेजा जाता है तो नुकसानी के लिए प्रथम पक्ष जवाबदार होगा। ईंधन के रूप में केवल डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा।
- 4) संघ अधिकारियों के अलावा वाहन में अन्य कोई सवारी नहीं बिठाई जावेगी।
- 5) वाहन चालक के लिए प्रथम पक्ष द्वारा जो चालक नियुक्त किया जावेगा उसे संघ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा तथा उसके अवैधानिक कृत्यों के लिए संघ जवाबदार नहीं होगा।
- 6) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रखना होगा। खराब होने पर 24 घण्टे में प्रथम पक्ष द्वारा उसे सुधरवाया जावेगा।

- 7) प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुं. संबंध उम्र पूर्ण होंशो हवास में में नामांकित घोषित करता हूँ। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. को संघ से व्यवहार करने का अधिकार होगा। इसकी स्वीकृति हेतु वारिस के हस्ताक्षर करवाकर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से देगा।
- 8) प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य भेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा दिया जावेगा, वह दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 9) संघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री/सगे भाई-बहन नहीं है, यह कथन प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। यदि जाँच के दौरान कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अनुबंध निरस्त करने कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
- 10) स्वीकृत दरें अनुबंध अवधि तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दरों में कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना 12 किमी प्रति लीटर के औसत आधार पर की जावेगी।
- 11) अनुबंधित वाहन का ड्रायवर प्रथम पक्ष का निजी कर्मचारी होगा तथा इनका कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या अन्य कोई अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इसका रिकार्ड का लेखा जोखा प्रथम पक्ष को ही रखना होगा।
- 12) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के 15 दिवस में स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की स्वसत्यापित छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करना होगी, तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्रवाई द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।
- 13) प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिभूति अमानत पेटे संघ में कुल रु. 20000/- प्रति वाहन जमा कराने होंगे, जो अनुबंध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
- 14) प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे, जिससे अनुरक्षण के अभाव में खराबी उत्पन्न नहीं हो।
- 15) प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का लगातार उल्लंघन करने या कार्य असंतोषजनक करते रहने तथा आदेशों का पालन नहीं करने की दशा में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा वह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करले, इसके अतिरिक्त इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूली जा सकेगी।
- 16) वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगें।
- 17) वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।
- 18) वाहन एक माह में अधिकतम 2500 कि.मी. चलाई जावेगी, उससे कम चलने पर न्यूनतम 2000 कि.मी. का भुगतान देय होगा।
- 19) वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होंगे।
- 20) वाहन में लगने वाले डीजल/आईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 21) वाहन का देयक आगामी माह की 3 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।
- 22) देयक से कटोत्रा किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त में प्रदान किया जावेगा।

- 23) वाहन मालिक द्वारा किन्ही कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रू. 1000/- की दर से पेनल्टी की जावेगी।
- 24) यदि वाहन मालिक द्वारा समयपूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द किया जा सकेगा।
- 25) निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रू. 20000/- प्रति वाहन संघ में जमा करना अनिवार्य होंगे।
- 26) किसी भी विवाद की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्रवाई का कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा।

द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता

नाम

पिता/पति का नाम

पता

दूरभाष क्रं.

मोबाईल नम्बर

अनुबंधकर्ता के जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता के गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर -----

हस्ताक्षर -----

01. नाम -----

01. नाम -----

पता -----

पता-----

मो0 नं. -----

मो0 नं.-----

आई.डी. प्रूफ -----

आई.डी. प्रूफ -----

02. नाम -----

02 नाम-----

पता -----

पता-----

मो0 नं.-----

मो0 नं.-----

आई.डी. प्रूफ -----

आई.डी. प्रूफ -----

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

ANNEXURE -III(A) (बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

—:: बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु निविदा पत्र ::—

फार्म - A

फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

विषय:— जिला बड़वानी/झाबुआ/खरगौन में भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन लगाने बाबद।
महोदय,

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अल्पकालीन ई-निविदा सूचना अनुसार दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के बड़वानी/झाबुआ/खरगौन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई-निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे संघ की समस्त शर्तें मान्य हैं। विस्तृत विवरण निम्नवत है—

1. वाहन ठेकेदार का नाम/निविदाकार संस्था का नाम _____
पिता का नाम _____
वारिस का नाम _____ उम्र _____ सम्बन्ध _____
पूरा पता _____
मोबाईल नम्बर 1 _____ 2 _____
2. निविदा धरोहर प्रतिवाहन राशि रु. 10000/- (दस हजार रुपये केवल) **MP Tenders** को ऑनलाईन जमा कर रिफ्रेंश नम्बर _____ सलंगन है।
3. वाहन क्रं. _____ वाहन का प्रकार. _____
वाहन की सवारी क्षमता _____ माडल वर्ष. _____
4. जिले का नाम (जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) _____
5. आयकर विभाग का पैन (PAN) नम्बर.
6. निविदा अवधि से एक वर्ष तक या संघ को आवश्यकता पडने पर मैं समान दर एवं समान शर्तों पर अवधि बढ़ाने का अधिकार संघ को प्रदान करता हूँ।

टीप:— इस फार्म A को पूर्ण रूप से भरकर, **MP Tenders** को जमा राशि का रिफ्रेंश नम्बर, वाहन रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति **Online** अल्पकालीन ई-निविदा में जमा करे, अन्यथा प्रस्तुत ई-निविदा मान्य नहीं होगी।

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, मागलिया, इन्दौर

ANNEXURE - IV(A) (बोलरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/-

--: बोलरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु भाव-पत्र ::-

निविदा दिनांक से दो वर्ष हेतु

निविदाकार का नाम :

| क्र. | जिले का नाम | वाहन का प्रकार (वर्ष 2016 एवं उसके बाद का मॉडल) | अधिकतम 2500 कि.मी. प्रतिमाह हेतु प्रति कि.मी. दर रूपये |
|------|-------------|---|--|
| 1 | बड़वानी | बोलरो जीप/समकक्ष वाहन | |
| 2 | झाबुआ | बोलरो जीप/समकक्ष वाहन | |
| 3 | खरगौन | बोलरो जीप/समकक्ष वाहन | |

निविदाकार/वाहन टेकेदार के हस्ताक्षर

पिकअप वाहन / समकक्ष वाहन संचालन हेतु नियम एवं शर्त

1. पिकअप/समकक्ष वाहन मॉडल वर्ष 2016 अथवा उसके बाद का होना चाहिए।
2. वाहन प्रथमतः दो वर्ष हेतु चलाई जावेगी, आवश्यकता पडने पर समयावधि में वृद्धि समान दरों एवं समान शर्तों पर की जा सकेगी।
3. वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेंगे।
4. वाहन मालिक को ई-निविदा भरने के पूर्व रु. 10000/- प्रति वाहन धरोहर राशि के रूप में **MP Tenders** को **Online** जमा करने होंगे।
5. वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास वैधानिक ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।
6. वाहन में समस्त वैध कागजात, रजिस्ट्रेशन पेपर, बीमा, चालक का ड्राइविंग लाईसेंस रखना अनिवार्य होंगे। एक प्रति कार्यालय में भी जमा करनी होगी।
7. निविदा स्वीकृति पश्चात मांगे जाने पर 3 दिवस में वाहन उपलब्ध कराना होगा।
8. वाहन एक माह में अधिकतम 2500 कि.मी. चलाई जावेगी, उससे कम चलने पर न्यूनतम 2000 कि.मी. के आधार पर भुगतान देय होगा।
9. वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होंगे।
10. वाहन में लगने वाले डीजल/आईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. वाहन का देयक आगामी माह की 3 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।
12. प्रथम देयक के साथ पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
13. देयक से कटौती किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त में प्रदान किया जावेगा।
14. वाहन मालिक को कार्य आदेश के पश्चात रु. 1000/- के Non Judicial Stamp पर नोटरीज्ड अनुबंध करना होगा।
15. वाहन लगने के पश्चात डीजल दरों में वृद्धि/कमी होने पर जीप का औसत 12 कि.मी. प्रतिलीटर के आधार पर दरों में वृद्धि/कमी उसी दिनांक से की जावेगी।
16. वाहन के टोल-टेक्स रसीद की लॉग बुक में इन्ट्री कर उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात देयक के साथ प्रस्तुत करने पर संघ से भुगतान किया जावेगा।
17. वाहन मालिक द्वारा किन्ही कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रु. 1000/- की दर से पेनल्टी की जावेगी।
18. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द किया जा सकेगा।
19. निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रु. 20000/- प्रति वाहन संघ में जमा करना अनिवार्य होंगे, जो वाहन बन्द होने के पश्चात् बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
20. कोई घटना-दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

Annexure- II(B) (तरल नत्रजन वाहन हेतु)

—:: तरल नत्रजन एवं सीमन परिवहन हेतु निविदा पत्र ::—

फार्म – A

फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

विषय :- तरल नत्रजन एवं सीमन वितरण हेतु वाहन लगाने बाबद्।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित अल्पकालीन ई-निविदा सूचना अनुसार तरल नत्रजन एवं सीमन परिवहन हेतु ई-निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे संघ के निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त शर्ते मान्य है।

1. वाहन ठेकेदार का नाम _____ पिता का नाम _____
वारिस _____ उम्र _____ सम्बन्ध _____
पूरा पता _____
मोबाईल नम्बर _____
2. निविदा धरोहर राशि रु. 10000 /—(रु.दस हजार केवल) MP Tenders को जमा कर रिफ्रेश नम्बर संलग्न है।
3. वाहन क्रं. _____ वाहन का प्रकार, _____ माडल वर्ष, _____
वाहन की क्षमता _____
4. निविदा अवधि से एक वर्ष तक या संघ को आवश्यकता पडने पर समान दर एवं समान शर्तो पर निविदा अवधी बढाने का अधिकार प्रदान करता हूँ।
5. आयकर विभाग का पैन (PAN) नम्बर _____

टीप :- इस फार्म A को पूर्ण रूप से भरकर, MP Tenders को जमा राशि का रिफ्रेश नम्बर वाहन रजिस्ट्रेशन एवं वाहन बीमा की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति के साथ online अल्पकालीन ई-निविदा जमा करे, अन्यथा ई-निविदा मान्य नही होगी।

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर एवं तरल नत्रजन/सीमन परिवहन निविदाकार के मध्य किये जाने वाला अनुबंध



1000/-रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध आज दिनांक _____ को निष्पादित किया गया जिसके प्रथम पक्षकार (निविदाकार) श्री _____ एवं द्वितीय पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी रहेगा।

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा गठित सहकारी समितियों को तरल नत्रजन, फ़ोजन सीमन, पशु, चिकित्सा औषधि एवं कृत्रिम गर्भाधान सामग्री पहुंचाने एवं तरल नत्रजन/फ़ोजन सीमन परिवहन कर लाने वास्ते प्रथम पक्षकार ने वाहन पंजीयन क्रमांक _____ से द्वितीय पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन किये जाने हेतु आवेदन किया है। द्वितीय पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर प्रथम पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रु..... प्रति कि.मी. स्वीकार किया है। अतएवं यह अनुबंध पत्र इस बात का साक्षी है एवं एतद् द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित शर्तों पर दोनो की सहमति से अनुबंध किया जाता है कि :-

शर्त :-

1. यह ठेका दिनांक से तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात प्रथम पक्ष का कार्य संतोषप्रद होने पर दोनों की आपसी सहमति से ठेका अवधि एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक समान दर एवं समान शर्त पर बढ़ाई जा सकेगी, परन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को यह अवधि शर्त क्रमांक 27 अनुसार बढ़ाने का अधिकार रहेगा।
2. इन शर्तों को तरल नत्रजन एवं सीमन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में संघ से तात्पर्य इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर या शीतकेन्द्र का तात्पर्य बडवानी/झाबुआ /पेटलावद/बडवाह/दूधी/चापडा/फुलगावडी/खरगोन/टोंकखुर्द/कन्नौद बल्क मिल्क कूलर भीकूपूरा समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समिति/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से होगा एवं ठेकेदार का तात्पर्य/ प्रथम पक्षकार/वाहन मालिक से होगा।
3. दूसरी मंजिल में तरल नत्रजन पात्र लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा। किसी भी स्थिति में पात्र के उपर पात्र के रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था वाहन ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर करना होगी।

4. तरल नत्रजन पात्र की आवश्यक सुरक्षा हेतु वाहन में रबर मेटिंग एवं त्रिपाल लगाना आवश्यक है, साथ ही यदि वाहन में लापरवाही के कारण तरल नत्रजन पात्र खराब होते हैं तो इस हानि का दायित्व ठेकेदार का होगा।
5. संघ 2000 कि.मी. औसत निर्धारित दूरी प्रतिमाह चलाये जाने के आधार पर अनुबंधित करता है। यह औसत दूरी पूरा करने में वाहन का उपयोग तरल नत्रजन क्रय, वितरण एवं संघ के अन्य परिवहन कार्य जैसे पशु आहार, घी, दुग्ध संकलन परिवहन, दुग्ध संग्रहण एवं जांच उपकरण संघ से संबंधित दुग्ध शीतकेन्द्रों को भेजना एवं वाहन से दौरा आदि का कार्य भी लिया जा सकेगा।
6. संघ के कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र के बाहर यदि संघ कार्य हेतु वाहन जाता है तो टोल टेक्स एवं परमिट व्यय आदि किसी प्रकार का पृथक व्यय संघ द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. प्राकृतिक प्रकोप एवं मानवीय कृत्यों से परे जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के समय पर आने या अनुपस्थित रहने अथवा आदेश की अवहेलना करने की दशा में वाहन के बदले संघ द्वारा अन्य वाहन लगाया जाता है तो लगाये गये वाहन की अन्तर राशि एवं आर्थिक दण्ड जो कि कम से कम रूपये 200.00 ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
8. दुर्घटना या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है तथा तरल नत्रजन पात्र को नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी एवं क्षति की राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जा सकेगी।
9. वाहन हेतु डीजल व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः ठेकेदार का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में कार्य नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि की पूर्ति ठेकेदार के परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
10. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पडने पर वाहन में लाना एवं ले जाना पडेगा।
11. ठेकेदार द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किया जावेगा, वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे/इनके द्वारा लापरवाही या अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही ठेकेदार को करनी होगी।
12. यदि ठेकेदार या ठेकेदार के प्रतिनिधि अथवा वाहन कर्मचारियों द्वारा संघ के संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो संघ को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार से आर्थिक दण्ड वसूल कर अनुबंध निरस्त कर सकें।
13. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरन्तर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध के पूर्व वाहन बन्द करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में संघ को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि रूपये 20,000/- राजसात कर लें। इसके अतिरिक्त इस कारण संघ को कोई हानि होती है तो वह भी ठेकेदार के देयक से वसूल की जा सकेगी।
14. वाहन पर सदैव त्रिपाल रहेगा एवं वाहन के सभी बल्ब चालू हालत में रहेगा।

15. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी, सरकारी, कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/समितियों को हानि होगी तो वह ठेकेदार के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी।
16. ठेकेदार द्वारा हडताल या कार्य बन्द में भाग नहीं लिया जावेगा। ऐसा करने पर समस्त हानि एवं आर्थिक दण्ड ठेकेदार के देयक से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही संघ को अधिकार होगा कि इस कारण से ठेकेदार से अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि रूपये 20,000/- राजसात कर लें।
17. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा। यदि खराब हो जाता है तो 24 घन्टे में सुधरवाने का दायित्व ठेकेदार का होगा। स्पीडो मीटर में त्रुटि पाये जाने पर हानि एवं दण्ड की वसूली ठेकेदार के देयक से की जा सकेगी।
18. इस अनुबंध के अन्तर्गत यदि कोई राशि ठेकेदार से संघ या समितियों की निकलेगी तो संघ को ठेकेदार से संघ या समितियों की निकलेगी तो संघ को ठेकेदार की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो इसके लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा।
19. परिस्थितिवश अथवा आवश्यकता होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्तें को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्तें पर परस्पर चर्चा कर निर्णय लिया जावेगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।
20. अनुबंध अवधि में यदि ठेकेदार वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो इसके लिए वह किसी अन्य ठेकेदार को उसी दर पर समान क्षमता के वाहन को चलाने को तैयार कर अनुबंध करायेगा एवं इस हेतु हस्तान्तरण शुल्क रूपये 5000/- जमा करायेंगा। प्रथम चार माह में ठेका हस्तान्तरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
21. यदि अनुबंध अवधि में प्रथम पक्षकार की मृत्यु या पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में उसके पश्चात् संघ से समस्त व्यवहार करने हेतु किसी व्यक्ति को नामांकित करना होगा। जिसकी जानकारी नामांकित व्यक्ति के नाम श्री ----- संबंध ----- उम्र ----- के साथ घोषित करना होगी।
22. अनुबंधकर्ता तथा अधिकृत के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा। वह प्रथम पक्षकार को मान्य होगा।
23. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्य में से कोई मेरा निकट का रिश्तेदार, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री सगे भाई बन्धु नहीं है। अगर जांच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाये गये तो संघ को यह अधिकार होगा कि, वह मेरा अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर लें।
24. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के ठेकेदार उपलब्ध करायेगा, जो हर समय गाडी के साथ रहेंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।
25. स्थानीय शासन, मध्यप्रदेश शासन अथवा भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह ठेकेदार को जमा कर रसीद प्रस्तुत करना होगी अन्यथा देय राशि ठेकेदार के बिलों से काट कर राशि को शासकीय कोषालय में जमा कर दिया जावेगा। उसका प्रमाण –पत्र संघ द्वारा ठेकेदार को दिया जावेगा।

26. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु 1 से 30/31 तारीख तक का देयक ठेकेदार द्वारा 5 तारीख तक संघ कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसका भुगतान 20 तारीख तक किया जावेगा।
27. यह ठेका दिनांक तक प्रभावशील रहेगा परन्तु इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ को उसी भाव एवं शर्तों पर यह अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।
28. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, इसी प्रकार वाहन ठेकेदार भी 90 दिन पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में अथवा पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि, वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त कर देवे। अनुबंध पत्र निरस्त करने की दिशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
29. स्वीकृत दर अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी या वृद्धि होती है तो दर वृद्धि या कमी की प्रतिकि.मी. गणना निम्नानुसार की जावेगी :—

| क्रमांक | वाहन का प्रकार | औसत प्रति कि.मी. |
|---------|---|------------------|
| 1 | महेन्द्रा पिकअप एवं समान क्षमता का वाहन | 15 कि.मी. |

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल, टायर, ट्यूब एवं करों आदि में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।

30. अनुबंधित वाहन पर चालक या सहायक ठेकेदार द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटोत्रा का लेखा जोखा वाहन ठेकेदार स्वयं को ही रखना होगा।
31. अनुबंधित वाहन की क्षमता से कम क्षमता वाहन चलाने पर अनुबंधित दर से 10 प्रतिशत का कटोत्रा किया जावेगा।
32. ठेका वाहन संघ के कार्य में कहीं रात्रि विश्राम करता है तो ऐसे प्रत्येक रात्रि विश्राम के लिए रूपये 25/— प्रति रात्रि विश्राम संघ द्वारा अतिरिक्त दिया जावेगा।
33. वाहन संघ के कार्य में संलग्न होने के पर पुलिस, आर.टी.ओ. अथवा किसी अन्य विभाग आदि द्वारा वाहन रोका जाता है अथवा किसी नियम के अन्तर्गत रोका जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार वाहन मालिक की होगी एवं उसके स्थान पर अन्य वाहन की व्यवस्था तुरन्त कर संघ कार्य को निरन्तर रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

34. द्वितीयपक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि रूपये 20,000/- संघ में जमा की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
35. वाहन की दूरी हेतु माईलोमीटर, दुग्ध संयंत्र इन्दौर से प्रारंभ होकर दुग्ध संयंत्र इन्दौर पर ही समाप्त मानकर दूरी स्वीकृत की जा सकेगी। इस हेतु द्वितीय पक्षकार को प्रतिदिन लाग बुक तैयार की जावेगी व प्रतिमाह देयक के साथ लाग बुक की छाया प्रति संलग्न की जावेगी।

मैं श्री _____ प्रथम पक्षकार ने उक्त अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभांति एवं पूर्ण होशो हवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्तें मान्य हैं। निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

जमानतदारों के नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

1. नाम : _____

हस्ताक्षर : _____

2. नाम : _____

हस्ताक्षर : _____

गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार

1. नाम : _____

हस्ताक्षर : _____

2. नाम : _____

हस्ताक्षर : _____

Annexure- IV (B) (तरल नत्रजन वाहन हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500 /-

निविदाकार का नाम :-.....

| जिलों के नाम | वाहन का प्रकार एवं मॉडल | अधिकतम 2500 कि.मी. प्रतिमाह के लिये प्रति किलोमीटर दर रूपये |
|---|---|---|
| संघ कार्यक्षेत्र के सभी जिलों के ग्रामों के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तक तरल नत्रजन एवं सीमन वितरण कार्य हेतु। | एक पिकअप वाहन मॉडल 2016 या उसके बाद का। | |

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर